


15.07.2024:—पत्रावली पेशी मे ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की वकील अपील अपील उपस्थित नहीं आये। अपील व अपील अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन / वकालतन उपस्थित नहीं आये। अपील व अपील अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण अपील अपील अदम पैरवी / अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

